ISSN: 0973-0583

बिहार का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य एवं सरकार की शिक्षा संबंधी नीति

सुप्रिया कुमारी केशरी

शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय, पलामू (झारखण्ड)

सार

किसी भी समाज का आदर्श उसकी शैक्षणिक व्यवस्था एवं परम्पराओं में ही प्रतिबिम्बित होती है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। इसके विपरीत जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा होगी। अत: कहा जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य समाज के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। समाज के किसी विशेष कालावधि के संस्कृति का ज्ञान उस समाज के शैक्षणिक परंपरा एवं शिक्षण संस्थाओं से सहज ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल में शिक्षा का अपेक्षाकृत विशेष महत्व रहा था, क्योंकि अद्यावधि की अपेक्षा उस समय उदीयमान संतति को सामाजिक परंपराओं में ढ़ालने एवं तदनुरूप आचरण हेतु प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान एवं संभवत: एकमात्र केन्द्र शिक्षण संस्था ही थी। प्राचीन भारत के मनीषी इस तथ्य से भली-भाँति अवगत थे कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, समाज की चर्तुमुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला है। भारतवर्ष में शिक्षा को मानवजीवन को संपूर्ण रूप से आलोकित करनेवाली प्रकाश स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो समस्त तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है। बिहार में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्गठन के जो प्रयास चल रहे है, उनसे सरकार के इरादे बिल्कुल स्पष्ट है कि वह इस समस्या के प्रति कितनी गंभीर है और उसका निराकरण करना चाहती है। शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप देकर और इस क्षेत्र में किए जा रहे अन्य सुधारों का देखकर यह यकीन होता है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी को उपयोगी शिक्षा मिले और वे राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान कर सके।

शब्द कुंजी: लोकतान्त्रिक, शिक्षा और संस्कृति, आधारभूत संरचना, टु लर्न, गुणवत्तापूर्ण, शिक्षा प्रणाली

परिचय :

शिक्षा की सुलभता के रास्ते में वर्तमान समय में तीन बड़ी बाधाएँ हैं। सबसे बड़ी बाधा गरीबी है। इसका समाधान सिवाय राज्य और समुदाय के साझे प्रयास से स्थापित शिक्षा कोष या शिक्षा साधन के और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बाधा समाज में जाति और लिंग भेद के आधार पर खड़ा अवरोध है। इसलिए हमें महिलाओं और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष अवसर का इंतजाम करना होगा। यह इंतजाम तभी उपयोगी साबित होगा, जब सबको शिक्षा के लिए अवसर मिलेगा। अगर हमने सीमित साधनों में आरक्षण नीति लागू की तो इससे वंचितों में इस नीति का अन्याय गुस्सा पैदा करेगा। दूसरी तरफ जिनके नाम पर आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, उनके बीच में अगली कतार में पहुँचे लोग ही यानी एमपी, एम.एल.ए, अफसर, संपन्न किसान, संपन्न व्यापारी आदि दलितों, पिछड़ों, स्त्रियों और अल्पसंख्यकों के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ लेंगे। तीसरा प्रश्न शिक्षा की उपलब्धता में क्षेत्रीय विषमता है। अंग्रेजों के जमाने से ही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता और बाद में दिल्ली को धुरी बनाकर शिक्षा के अवसरों का विस्तार हुआ है। इसको भी दूर करना जरूरी है। शिक्षा पाना प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता एवं अधिकार है। यह देश के आर्थिक विकास तथा शक्तिशाली लोकतान्त्रिक ढाँचे के विकास की गति में उर्वरक का काम करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद नीति-निर्धारित करने वाले महानुभावों की सही सोच और योजनाओं की वजह से शिक्षा की तरफ देश को आजादी मिलने से पहले के वर्षों के मुकाबले बहुत ध्यान दिया गया है। हमारा नेतृत्व करने वालों ने गरीबी के बाद अशिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम में रखा। उन्होंने समझ लिया था कि किसी भी देश की उन्नति तथा समृद्धि के लिये शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय उत्पादन तथा शिक्षा में एक स्वाभाविक संबंध है। इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में शिक्षा विभाग को रखा गया है।

वर्तमान युग परिर्वतन का युग है। विज्ञान तथा तकनीकी के तीव्र विकास के कारण मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में तीव्र एवं दूरगामी परिर्वतन आ रहे हैं। दूरसंचार यातायात कृषि, उद्योग तथा चिकित्सा क्षेत्रों में नित नये-नये प्रयोग हो रहे हैं। इन सभी परिवर्तनों नें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की सार्थकता के सामने प्रश्न चिह् लगाकर नई-नई शैक्षिक चुनौतियाँ प्रस्तुत कर दी है। जिनमें सबसे बड़ी शैक्षिक चुनौती भारतीय शिक्षण पद्धति पर वैश्वीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संदर्भ में आर. आर. दिवाकर द्वारा संपादित 'Bihar Through the Ages' में शिक्षा के विकास के इतिहास को रेखांकित किया गया है। साथ ही 1964 में P.C. Roy Chaudhary द्वारा संपादित विभिन्न जिलों के गजेटियर में उच्च शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में प्रामाणिक विवरण उपलब्ध है। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के सीनेट की बैठक के अभिलेख में उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्यों को उपस्थापित किया गया है। स्वाधीन भारत में बिहार के प्रथम शिक्षा सचिव जगदीश चन्द्र माथुर ने भी अपने विविध निबन्धों के जरिए बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट किया है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा तकनीकी शिक्षा के संबंध में प्रख्यात डॉ० अमरनाथ झा द्वारा प्रस्तुत सारगर्भित विचारों का विशेष महत्त्व हैं 1941 में किताब महल ईलाहाबाद से डॉ० अमरनाथ झा की एक महत्त्वूपर्ण कृत्ति Occasional Essays and Address में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में गंभीर चिंतन उपलब्ध है। उन्होंने उच्च शिक्षा के छात्रों में आत्म अभिव्यक्ति की समस्या पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। उनके अनुसार समय के अनुरूप पाठ्यक्रमों में बदलाव अपेक्षित है। उन्होंने छात्रों के व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल दिया है। उच्चतर शिक्षा का महल निम्नलिखित पाँच सिद्धांतों के इर्द-गिर्द खड़ा करना पड़ेगा-

1. ज्ञान के लिए शिक्षा
2. कुछ करने के लिए शिक्षा
3. अपनी पहचान के लिए शिक्षा
4. अपनी स्थिति कायम रखने के लिए शिक्षा
5. शिक्षित होने के लिए शिक्षा।

उच्चतर शिक्षा की जरूरत मजबूरी या जरूरत के कारण परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि नवीकरण और सृजन के लिए भी पड़ेगी। 21वीं सदी के सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक-आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में तीव्र से हो रहे बदलाव के कारण प्राप्त अवसरों से फायदा उठाना चाहिए। 1943 में व्यंगवितक विश्वविद्यालय प्रेस से प्रकाशित डॉ० अमरनाथ झा की एक शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षण संस्थानों के संबंध में बुनियादी सवालों को रेखांकित किया गया है। यह पुस्तक बहुअयामी है तथा इसमें उच्च शिक्षा के संबंध में महत्त्वपूर्ण पक्षों का विवेचन किया गया है। डॉ० अमरनाथ झा ने परम्परागत शिक्षण पद्धति के साथ तकनीकी शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है। बिहार में शिक्षा की यह बद्किस्मती ही रही है कि वह सबकी जरूरत और आकांक्षा के बावजूद न्यूनतम राजनीतिक हैसियत रखती है। संभवत: इसलिए यह कभी सुनाई नहीं देता कि किसी क्षेत्र का मतदाता अपने यहाँ की खराब शिक्षा सुविधाओं के कारण खिन्न, परेशान और नाराज है। नेताओं को फिर क्या पड़ी है जो वे इस बाबत कुछ वादे करें। फिर भी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों और गठजोड़ों के घोषणा पत्रों में शिक्षा पर कुछ कहा-सुना जा रहा है, वह इसलिए कि सैद्धांतिक रूप से कुछ परिपाटियों को बिल्कुल ही छोड़ देने का अभी वक्त नहीं आया है। 'सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा' की संवैधानिक प्रतिबद्धता के बावजूद आज भी कई फीसदी लड़के और लड़कियां स्कूल की चारदीवारी से बाहर हैं, हालांकि इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल समय-समय पर अपने घोषणापत्रों में वायदे करते आए हैं, लेकिन संवैधानिक दायित्व का विरलीकरण करके। संविधान की धारा 21 ''क'' के अंतर्गत 6-14 आयुवर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। साथ ही ''बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009'' दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया। बिहार राज्य के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग के पूरे ढांचे में परिवर्तन कर उसे पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया गया है। शिक्षा के संबंधित सभी कार्यों को समेकित रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा कार्यालय की स्थापना की गयी है।

अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालय संगठन ने 1998 में

आयोजित अपने एक बैठक में उच्च शिक्षा से संबंधित दस्तावेज को प्रस्तुत किया। अभिलेखों में यह स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं के आदान प्रदान के दरवाजे खुल गये हैं। परन्तु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वर्ग सहभागी नहीं कर सकता है क्योंकि वह आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न नहीं है। वस्तुत: भूमंडलीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में अमीरी और गरीबी की खाई को स्पष्ट कर दिया है। संपन्न वर्ग के लोग ही महत्त्वपूर्ण शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें प्रवेश तथा रहन-सहन के लिए अधिक आर्थिक संसाधन की अपेक्षा है। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों का प्रवेश संभव होता दिखाई पड़ रहा है। प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोत के आधार पर गहन एवं गंभीर तथ्यों का विश्लेषण किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रारंभिक स्त्रोत में उच्च शिक्षा के शिक्षण का मूल्यांकन से सम्बंधित लिए गए। शिक्षकों एवं छात्रों का साक्षात्कार सूचना और तथ्य प्राप्त कर उनका उपयोग किया जायेगा। साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन तथा जीवन इतिहास पद्धति के आधार पर विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन कर अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावे विभिन्न शैक्षिक संस्थानों और कार्यालयों से भी सामग्रियाँ उपलब्ध की जायेगी जिसको शोध कार्य को पूरा किया जा सके।

अत: भूमंडलीकरण नेटवर्क को समझने में ही बुद्धिमानी होगी। इस तरह की एकजुटता से ही हम विश्वविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा के वाणिज्यीकरण और वस्तुकरण के रूप में शोषण से बचा सकते हैं। फ्रांसिस फाकुयामा द्वारा प्रमाणित 'इतिहास का अंत या नोबेल स्टेफेन हॉकिंस द्वारा प्रतिपादित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान का अंत घबराने की जरूरत नहीं है (द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2004: सम्पादकीय)। समझ और नये अन्वेषण की खोज एक अंतहीन प्रक्रिया है, चाहे वह विश्वविद्यालयों के अंदर हो या बाहर। फ्रांस के गुरू याक्स डेरीडा के अनुसार, विश्वविद्यालय ज्ञान का सिर्फ निर्माण ही नहीं हैं, बल्कि उसका विनाश भी करते हैं। भ्रम के पीछे की सच्चाई को समझने और 'झूठी मूर्ति और 'मूर्ति पूजक' के बीच अंतर को समझने के लिए विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर झांकना जरूरी है। सत्य की अंत में विजय होती है और इसे खुद को उजाकर करनी चाहिए।

बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अलावा मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना, मुख्यमंत्री शैक्षिक परिभ्रमण योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विद्यालयों में आधाारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ-साथ शिक्षकों का नियोजन अभियान चलाया जा रहा है। बिहार राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु 'राज्य शैक्षिक गुणवत्ता मिशन' की स्थापना की गई है। इस गुणवत्ता मिशन के अंतर्गत ''समझे-सीखे'' नाम से एक विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके 20 मुख्य सूचक बिहार में गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा को सुनिश्चित कराने की दिशा में कारगर साबित हो रहे हैं। इन प्रयासों से 6 से 14 आयुवर्ग के लगभग 98.35 प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में नामांकित हुए हैं और विद्यालय से बाहर के बच्चों में काफी कमी आई है। विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए विभिन्न तरह के सेतु कार्यक्रम चलाये गये हैं। ऐसे सेतु कार्यक्रम में उत्थान-केन्द्र, तालिमी-मरकज, उत्कर्ष-केन्द्र आदि प्रमुख हैं।

बिहार राज्य में 19,303 नये प्रारंभिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं एवं उनके भवन निर्माण का कार्य भी हो गया है। विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए लोगों से भी भूमि दान करायी गयी है। राज्य में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए कम से कम 5 कमरों के भवन एवं प्रत्येक मध्य विद्यालय के लिए 10 कमरों के भवन के साथ शौचालय एवं पेय जल की व्यवस्था, खेल मैदान एवं उसकी चहारदीवारी का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 'मीना मंच' 'बाल संसद' का गठन किया गया है। बिहार में राज्य स्तर पर बच्चों के शैक्षिक मनोरंजन एवं उनके चतुर्दिक विकास के लिए स्थापित बिहार बाल भवन 'किलकारी' का कार्यालय अपने नव निर्मित भवन में स्थानांतरित हो गया है। इस संस्था द्वारा पटना के शहरी क्षेत्र के गरीब बच्चों की प्रतिभा के विकास के लिए बड़ी संख्या में अभिवंचित वर्ग के बच्चों को खेलकूद, पेंटिंग, गीत,

संगीत आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक प्रमंडल में बिहार बाल भवन 'किलकारी' की स्थापना हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

माध्यमिक शिक्षा में बढ़ते दबाब के कारण माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का निर्णय लिया गया है। बिहार में नये माध्यमिक विद्यालयों खुला है। अत: वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए शैक्षणिक संस्थानों को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। बिहार में बड़ी संख्या में वैसे मध्य विद्यालय जिनके पास पर्याप्त भूमि है और उनके 5 किलोमीटर की दूरी में माध्यमिक विद्यालय नहीं है उन्हें माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जा रहा है। इससे कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय से वर्ग-8 की पढ़ाई पूरी करनेवाली बच्चियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा प्रत्येक प्रखंड में गरीब बच्चियों की माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए एक बालिका छात्रावास की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना के साथ-साथ कम्प्यूटर शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं । वर्ग-9 में सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले सभी बच्चों को साइकिल के क्रय के लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है। बिहार में उच्च शिक्षा के विकास के लिए महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। बिहार में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग से वर्चुअल वर्ग-कक्ष निर्माण की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। बिहार में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्गठन के जो प्रयास चल रहे है, उनसे सरकार के इरादे बिल्कुल स्पष्ट है कि वह इस समस्या के प्रति कितनी गंभीर है और उसका निराकरण करना चाहती है। शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप देकर और इस क्षेत्र में किए जा रहे अन्य सुधारों का देखकर यह यकीन होता है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी को उपयोगी शिक्षा मिले और वे राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान कर सके।

शिक्षा सुधार के संबंध में अनेक समस्याएँ हैं। इन समस्या के समाधान हेतु शिक्षा के व्यावहारिक पहलु पर विश्लेषण आवश्यक है। इस संबंध में पहले सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों की राय ली जानी चाहिए, जो शिक्षित नहीं है, सरकारी तंत्र को ऐसे लोगों की भाषा में बात करना होगा, तभी उनका विचार ठीक प्रकार से लिया जा सकेगा, समझा जा सकेगा। हालांकि पिछले 10-12 सालों में स्थिति काफी बदली है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों की संख्या बढ़ी है। आनुपातिक दृष्टि से पहले की तुलना में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब 90 फीसदी बच्चे स्कूलों तक पहुँचने लगे हैं यह बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। जरूरत इस बात की है कि सीखने के तरीके को आसान बनाया जाए। संविधान में राइट टु एजुकेशन की तो व्यवस्था है, अब उसी तरह राइट टु लर्न की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा राजनीतिक दल के एजेंडे में नहीं होता है। संभव है पार्टी के प्रमुख नेता उन्हीं मसलों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे तत्काल राजनीतिक लाभ होने की संभावना हो। यदि बच्चे वोट बैंक होते तो शायद उनकी समस्याओं को भी अधिक प्राथमिकता दी जाती। राजनीतिक दलों को अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। बच्चे भले ही आज वोट बैंक न हों लेकिन कल के नागरिक जरूर हैं, देश के सर्वांगीण विकास की बात करने वाले राजनीतिक दलों को लाभ-हानि के गणित से परे हटकर अपने चुनावी घोषणा पत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि शिक्षा के प्रसार से एक साथ कई समस्याएँ दूर हो सकती है।

शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए देश के हर नागरिक को आगे आना होगा। यह सभी नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे अपने आसपास के विद्यालयों के सुचारू संचालन में सहयेाग दें। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत शिक्षा दी जा रही है कि नहीं। इस बात का ध्यान रखें बच्चों के लिए समय निकालें, इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जिस तरह परीक्षा के माध्यम से समय-समय पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, वैसी ही व्यवस्था शिक्षकों के लिए भी हो, सिर्फ आर्थिक तौर पर किसी को मदद करके शिक्षा की तस्वीर नहीं बदली जा सकती है, बल्कि खुद भी कुछ समय निकालना होगा। समान स्कूली शिक्षा प्रणाली की बात अक्सर उठायी जाती है। सिद्धांत रूप में तो यह बात बहुत अच्छी है कि सारे देश में एक समान स्कूली शिक्षा प्रणाली अपनायी जाये। लेकिन अभी के परिस्थिति में यह संभव नहीं दिखाई देता, हमारे देश के अलग राज्यों में अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था है। शहरों

और गांवों में शिक्षा के स्तर में काफी अंतर है। कई-कई गांवों में तो अभी भी प्राथमिक स्कूल की पहुँच नहीं हो पायी है। कई जगहों पर गैरसरकारी संस्थाओं सर्वशिक्षा अभियान व आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा की पहुँच लोगों तक संभव हो पा रहा है। ऐसे में समान स्कूली शिक्षा प्रणाली दूर की सोच लगती है।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आज शिक्षा में सुधार के लिए सबसे जरूरी यह कदम होना चाहिए कि सरकार यह सुनिश्चित करें कि सभी वर्ग के लोगों को स्कूल नसीब हो। जब तक यह काम नहीं होता और शिक्षितों और अशिक्षितों के बीच की खाई नहीं पटती, शिक्षा के संबंध में किए गए बाकी प्रयास खोखले होंगे। शिक्षा को लेकर हमें अपनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। आप बुनियादी बातों पर गौर न करें तो बड़े-बड़े फैसले लेकर कुछ नहीं कर सकते। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की कई प्रतिशत आबादी रोजाना 50 रूपए की आय पर जिंदा है। अब आप विदेशी और निजी शिक्षण संस्थानों को लाख बढ़ावा दें, क्या यह वंचित आबादी इनसे शिक्षा हासिल करने का माद्दा रखती है? अभी जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वर्ग राजनीतिक तौर पर हावी है, उसका व्यापक सामाजिक परिवर्त्तन का लक्ष्य नहीं है। वह केवल अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधकीय ढांचा विकसित करना चाहता है। भूमंडलीकरण के मौजूदा दौर में शिक्षा एक शक्ति है और विकास के लिये आवश्यक है। विकास कार्य में अब शिक्षा और संस्कृति जैसी अदृश्य शक्तियाँ प्रभावी हो गयी हैं। अत: शिक्षा में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इसमें आने वाली प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाय।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. शर्मा अदिति, 2017, कमजोर नींव पर खड़ा उच्च शिक्षा का सपना, मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली।
2. अग्रवाल, जे. पी. 1992, एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, अभिनव प्रकाशन, दिल्ली।
3. अग्निहोत्री रविन्द, 2019, आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएँ एवं समाधान, जयपुर राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
4. उपाध्याय प्रतिभा, 2019, भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियाँ चतुर्थ संशोधित संस्करण, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
5. त्यागी, गुरसरनदास, 2018, भारत में शिक्षा का विकास, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
6. पाठक, पी.डी. 2014, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, वाणी प्रकाशन, मेरठ।
7. वार्षिक प्रतिवेदन, शिक्षा विभाग, बिहार, 2021-2022
8. गुप्ता, प्रो. एस.पी. एवं गुप्ता, डॉ. अलका, 2010, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास,शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
9. मिश्रा, डॉ० एम.के. एवं दाधीक्ष, डॉ० कमल, 2011, गाँधी और शिक्षा, अर्जून पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।

❖❖❖